

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व-
सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने
के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को;

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता और
अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकरत्य होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवम्बर, 1949 ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो
हजार छह विक्रमी) को एतद्विराग इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और अस्तमार्पित करते हैं।

उद्देशिका।

¹संविधान (बयालीसर्व संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के रूपान् पर भवित्वापित।

²संविधान (बयालीसर्व संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर भवित्वापित।